SEWA Rashtriya Patrika

SEWA's Mouthpiece Integrating Women Workers in National Development

सेवा राष्ट्रीय पत्रिका

राष्ट्रीय विकास में कामगार महिलाओं का संयोजता सेवा का मुखपत्र

Issue No.: 3; April 2018 | Advisors: Manali Shah, Sonia George, Shikha Joshi | Internal circulation

WHY HAS THE WAGE CODE EXCLUDED UNORGANIZED SECTOR WHICH CONSISTS OF 95.7% OF INDIA'S WORKFORCE??!!

Sewa Makes Key Recommendations Including National Minimum Wage For Each Work Across The Country

Can there be a labour policy or labour law draft in India which does not recognize the 40-crore strong unorganized sector constituting 95.7 percent of labour workforce of the country's economy? Ironical it may seem but 'The Code of Wages Bill 2017' being brought in by the labour department of the union government to usher in labour reforms in India has completely excluded this unorganized sector. A sector which mainly includes poor workers who do not enjoy any kind of social security!

Now, it is a good thing that amendments are being brought in the labour laws and the Code replaces four existing laws: (i) the Payment of Wages Act, 1936, (ii) the Minimum Wages Act, 1948, (iii) the Payment of Bonus Act, 1965, and (iv) the Equal Remuneration Act, 1976. The Code was introduced in the Parliament in 2017 but was not passed and referred the Standing Committee on August 10, 2017. The committee has met with labour ministry officials, trade unions and industry bodies on the Code. The committee has got an extension to present their report till end of Monsoon session, 2018.

In such a scenario, as this Code will have a bearing on country's largest unorganized workforce, the Self Employed Women's Association (Sewa) has raised key issues and made suggestions that should be considered by the central government before passing the bill for the larger benefit and welfare of 40 crore informal workers in India.

KEY SUGGESTIONS

Inclusion Of Definition Of Unorganized Sector Workers And Unorganized Sector

- The Code of Wages Bill 2017 fails to consider unorganized sector and unorganized sector workers. These definitions should be included in the code.

- The definition of unorganized workers should means home-based worker, self employed worker, owner-cum-worker, wage worker, casual worker, contract worker, domestic worker, part-time worker and or piece rate workers in the unorganized sector.

- The definition of unorganized sector should be changes and include establishments which employ workers the number of which are less than the threshold; self employed units, households employing domestic workers.

FIXATION OF MINIMUM WAGES

- Even as the aim of the the Code on Wages 2017 is to have a statutory national minimum wage, state governments have been permitted to arrive at a minimum wage separately. SEWA strongly recommends that there should be a uniform national minimum wage for every work across all states. Otherwise, the unorganized industry for a particular trade will move to the state which offers minimum wages for a particular work. For instance, we have personally witnessed the beedi cottage industry move out of Bihar to Bangladesh!

- Secondly and most importantly, minimum wages to be paid to home-based workers need to be paid on per-piece rate basis. A detailed time motion study should be conducted for inclusion of the home based traders in minimum wages and fixation of piece rate for them. This is important as it affects 3 crore home based workers in the state.

- Government should also fix the support price fir self-employed/own account workers like waste recyclers, salt pan workers, forest workers etc and the same should be covered in labour code on wages.

- SEWA has also suggested that a separate advisory committee be set up to fix minimum wages for unorganized sector which consists of representatives of the informal sector.

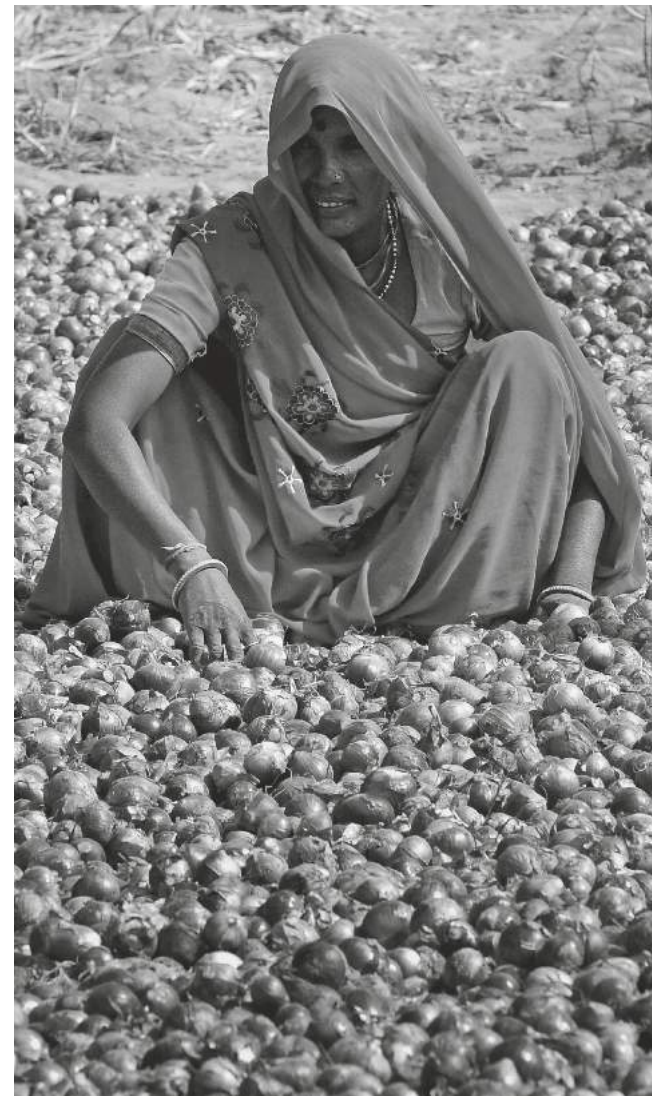

OTHER IMP RECOMMENDATIONS

- Provision should be made in code that every unorganized employer/contractor should be bound to pay annual bonus to workers which would be 8.33% of the wages earned of Rs 100 whichever is higher.

- A separate Grievance Redressal Appellate Authority should be set up for unorganized sector headed by officer not below the rank of assistant labour commissioner.

- Trade unions, which can play a major role in implementation of this code, be included as part of inspections for proper implementation of the code. The unions should also be allowed to file a claim for non-payment of wages to workers.

- SEWA proposes to add a new clause in the code which mandates that every unorganized sector workers be registered with the appropriate authority and issued an identity card.

क्यों भारत देश की संपूर्ण श्रम शक्ति के 95.7% असंगठित क्षेत्र को वेतन की संहिता में शामिल नहीं किया गया है?

सेवा की प्रमुख सिफारिशें है कि पूरे देश में असंगठित क्षेत्र को राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन में शामिल किया जाये

सेवा के सदस्यों का प्रश्न है — क्या हमारे देश में ऐसी श्रम निति या श्रम कानून बनेंगे जिसमें चालीस करोड़ असंगठित क्षेत्र जो कि श्रम शक्ति में ९५.७% है, उसको पहचान नहीं दी जाएगी?

ऊपरी तौर पर यह दिखाई देता है, परन्तु संहिता वेतन बिल २०१७ जो कि केंद्रीय सरकार के श्रम विभाग द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव हेतु लाया गया जिसमें पूर्ण रूप से असंगठित क्षेत्र को बाहर रखा है. यह क्षेत्र जिसमें मुख्य रूप से गरीब श्रमिक है जिनको किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं है.

अब यह अच्छी बात है कि श्रम कानून में जो संशोधन लाये गए है उसमें वर्त्तमान के चार कानूनों को संहिता द्वारा हटाया गया है १. वेतन भुगतान का कानून, १९३६ २. न्यूनतम वेतन कानून, १९४८ ३. बोनस भुगतान का कानून, १९६५ ४. समान कार्य समान वेतन कानून, १९७६. इस संहिता को लोक सभा द्वारा २०१७ में प्रस्तुत किया गया था परन्तु इसको स्टैंडिंग समिति ने १० अगस्त २०१७ में मंजूरी नहीं दी.

संहिता को लेकर यह समिति श्रम मंत्रालय के अधिकारी, श्रम संगठन और उद्योगिक समूह से मिली. इस समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने लिए मानसून सत्र २०१८ तक का समय दिया गया है.

इस परिदृश्य में, जिसमें यह संहिता देश के सबसे बड़े असंगठित क्षेत्र कि श्रम शक्ति पर असर डालने वाली है, स्वाश्रयी महिला सेवा संघ (सेवा) को श्रम की स्टैंडिंग समिति के सदस्यों के सामने अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया गया जहाँ पर सेवा ने प्रमुख मुद्दे उठाये और अपने सुझाव दिए कि केंद्र सरकार को इस बिल को पास करने के पहले भारत के चालीस करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण और उनके बड़े फायदे के बारे में सोचे.

प्रमुख सुझाव

■ असंगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की भाषा को शामिल किया जाये.

■ संहिता वेतन बिल २०१७ असंगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विचार करने में विफल रहा, इसकी परिभाषा को इस संहिता में ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए.

■ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की परिभाषा में संपूर्ण रूप से घर खाता श्रमिक, स्वरोज़गार करने वाले श्रमिक, मालिक-सह-श्रमिक, अंशकालिक श्रमिक या पीस रेट श्रमिकों को शामिल किया जाये.

■ असंगठित क्षेत्र की परिभाषा में बदलाव करते हुए इसमें स्थापित इकाइयां जो कि श्रमिकों के लिए रोज़गार के दरवाज़े खोलती हैं जिसमें स्वरोज़गार वाली इकाइयां, घरेलु कामगारों को रोज़गार देने वाले का समावेश करना चाहिए

न्यूनतम वेतन को तय करना

■ वेतन कि संहिता २०१७ का मुख्य उद्देश्य यह है कि वैधानिक रूप से राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन हो जिसमें राज्य सरकरों को अनुमति दी जा रही है कि वे न्यूनतम वेतन को अपने हिसाब से तय करे. सेवा ज़ोर-शोर से सिफारिश करती है कि एक जैसा राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन हो जिसे सभी राज्यों और व्यवसायों में लागू किया जाये, नहीं तो असंगठित क्षेत्र के कई व्यवसाय उन राज्यों में चले जायेंगे जहा पर न्यूनतम वेतन कम होगा. उदाहरण के तौर पर हम व्यक्तिगत रूप से गवाह है कि बीड़ी कॉटेज उद्योग बिहार से निकल कर बंगाल में चला गया है.

■ दूसरी और प्रमुख बात यह है कि घर खाता मजदूरों को न्यूनतम वेतन प्रति पीस के अनुसार दिया जाता है. एक विस्तृत समय आधारित अध्ययन किया जाना चाइये जिससे घर खाता आधारित व्यवसाय के न्यूनतम वेतन को पीस रेट के अनुसार तय किया जाये. यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि देश के ३ करोड़ घर खाता मजदूरों पर इसका असर पड़ता है.

■ सरकार को स्वरोज़गार करने वाले/खुद का काम करने वाले श्रमिक जैसे कचरा रीसायकल करने वाले, नमक बनाने वाले श्रमिक,

वन श्रमिक आदि. और इन सभी को वेतन की श्रम संहिता में शामिल किया जाना चाहिए.

■ सेवा यह भी सुझाव देती है कि अलग से सलाहकार समिति बनायीं जाये जो कि असंगठित क्षेत्र के लिए न्यूनतम वेतन तय करे जिसमें असंगठित क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल हो.

अन्य प्रमुख सिफारिशें

■ संहिता में यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि असंगठित क्षेत्र के मालिक/ठेकेदार बाध्य हो कि वे कामगारों को कमाए हुए वेतन का ८.३३% या १०० रुपये, जो भी ज़्यादा हो, वार्षिक बोनस के रूप में भुगतान करे.

■ असंगठित क्षेत्र के लिए अलग से समस्या सुलझाने हेतु अपील प्राधिकरण बनाया जाये जिसको सहायक श्रमायुक्त के स्तर का अधिकारी चलाये.

■ श्रम संगठन इस संहिता को चलने में मुख्य भूमिका निभाएंगे इसलिए उनको संहिता के सही क्रियान्वन हेतु जांच करने हेतु शामिल किया जाये. श्रम संगठनों को श्रमिकों को वेतन का भुगतान नहीं मिलने पर दावा प्रस्तुत करने हेतु इज़ाज़त दी जाये.

■ सेवा यह भी प्रस्ताव रखती है कि इस संहिता में एक नयी धारा जोड़ी जाये जिसमें यह ज़रूरी हो कि सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीयन कार्ड निर्धारित अधिकारी द्वारा दिया जाये.

BEST WELFARE SCHEMES ROLLED OUT FOR BEEDI WORKERS GO UP IN SMOKE DUE TO POOR IMPLEMENTATION

Sewa Seeks Redressal For Lack Of Health Facilities, Non-issuance Of I-cards And Non-disbursal Of Insurance Benefits

The Self Employed Women's Association (SEWA) actively works with beedi rolling workers and has organized nearly 60,000 beedi workers, mostly women, across India. The workers are covered under Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 and Beedi and Cigar Workers Welfare Cess Act, 1966. In working closely with beedi rolling workers, SEWA has identified many difficulties faced by these workers in availing benefits provided to them under beedi welfare schemes. Ironically, employers pay cess for welfare of beedi workers but the amount is not fully used for their welfare and upliftment due to poor implementation of these schemes.

ACCESS TO HOSPITALS, NON-ISSUANCE OF I-CARDS KEY PROBLEM IN WEST BENGAL

In Murshidabad, there is a Beedi Welfare Hospital but it is not easily accessible by workers as it is located far away and workers find it difficult to approach the hospital in times of illness. SEWA struggled hard to initiate a mobile dispensary van to reach medical facilities to workers at their homes but mobile dispensary van has became non-operational merely a month of functioning due to absence of a medical officer.

New identity cards are not being issued to beedi workers in Murshidabad and Malda as no medical officer has been deputed after the existing was transferred in March 2016. A replacement of deputy Beedi Welfare Officer who retired in December in 2016 has not been posted due to which new

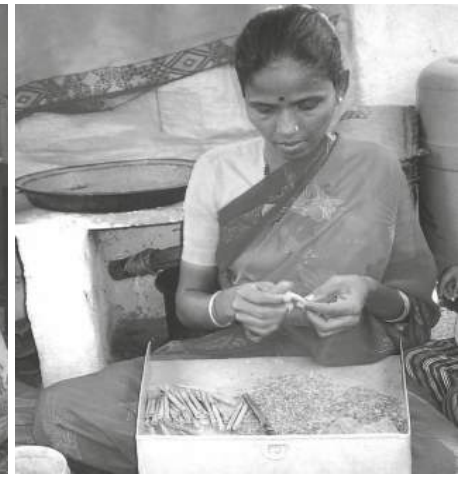

cards are not being issued adversely impacting disbursal of welfare benefits.

IN BIHAR, BEEDI WORKERS STRUGGLE WITH NON-EXISTENT MEDICAL FACILITIES

In Bhagalpur District, the medical dispensary is located faraway from the beedi-workers settlement with workers forced to travel 15-km to avail the medical facilities. Earlier, doctor was rarely available as he handles multiple charges in different dispensaries but due to constant efforts of SEWA, the medical officer is now available each Monday and Thursday. For beedi workers in Purniya and Katihar, the problem is more acute as they have to travel around 90 kms to avail these free facilities, said Madhuri Sinha, general secretary SEWA, Bihar. This is violation of the Act related to beedi workers which stipulate that beedi welfare dispensaries have to opened at any place with a concentration of 5,000 or more beedi workers.

New registrations cards are not issued to the beedi workers due to which they face difficulties in accessing welfare schemes.

INSURANCE BENEFITS AND HOUSING SUBSIDY ELUDES WORKERS IN MADHYA PRADESH

Beedi workers in Madhya Pradesh have not received insurance benefits since past last many years now. Housing subsidy scheme benefit is also not available to beedi workers here.

NO IDENTITY CARDS FOR BEEDI WORKERS IN GUJARAT AND RAJASTHAN

In Ahmedabad in Gujarat and Ajmer in Rajasthan, identity cards are not being issued to the beedi workers since past many years due to which they are not able to avail benefit of welfare schemes. Beedi workers have not received the insurance claims since last 6 years as well as benefit of housing scheme.

HOSPITAL FACILITIES ELUDE BEEDI WORKERS IN UTTAR PRADESH

There is a large concentration of Beedi workers in Raebareli district many of whom suffer from chronic disease. The Beedi Hospital is located far off due to workers are not able to avail medical services.

SEWA'S RECOMMENDATIONS FOR WELFARE OF BIDI WORKERS

- To map localities of beedi workers and start or shift medical dispensaries and Beedi hospitals in these areas.
- To start mobile dispensary vans in Malda, Murshidabad (West Bengal) and Raebareli (Uttar Pradesh). To start a Beedi Welfare Dispensary in Katihar and Purnia (Bihar) and ensure its proper functioning. To shift the medical dispensary in Bhagalpur (Bihar) in the locality of the Beedi Workers
- To depute requisite number of beedi welfare officers and medical officers needed in these states.
- To mandatorily register beedi workers and issue them identity card in above states.
- To disburse the insurance claim to beedi workers
- To re-start Beedi Housing scheme in states of Madhya Pradesh, Gujarat and Rajasthan.
- To allow manual filing of the scholarship form as before and disburse amount of scholarship benefits to students who have not been able to claim the same with immediate effect.

बीड़ी श्रमिकों की अच्छी कल्याणकारी योजना कमज़ोर क्रियान्वन के कारण धुंए में उड़ गयी

बीड़ी श्रमिकों की अच्छी कल्याणकारी योजना कमज़ोर क्रियान्वन के कारण धुंए में उड़ गयी

स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, परिचय पत्र का ना मिलना और कल्याणकारी सुविधाओं के गैर-वितरण को लेकर सेवा निराकरण चाहती है

स्वाश्रयी महिला सेवा संघ बीड़ी बनाने वाली श्रमिकाओं के साथ काम कर रही है और देश में ६०,००० हज़ार बीड़ी श्रमिक महिलाओं को संगठित किया है. यह श्रमिक बीड़ी और सिगार श्रमिक कानून १९६६ और बीड़ी और सिगार श्रमिक कल्याणकारी उपकर कानून १९६६ के अंतर्गत आते है. बीड़ी बनाने वाली महिलाओं के साथ नज़दीकी से काम करते हुए सेवा ने उनको बीड़ी कल्याणकारी योजनाओं से फायदा लेने में विभिन्न मुश्किलों का सामना करते हुए देखा. वैधानिक रूप से मालिक बीड़ी श्रमिकों कल्याण के लिए उपकर का भुगतान करते है, किन्तु उसकी राशि का पूरा उपयोग उनके कल्याण व उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कमज़ोर क्रियान्वन के कारण नहीं हो पा रहा है.

पश्चिम बंगाल में परिचय पत्र का ना मिलना, हॉस्पिटल तक उनकी पहुँच उनकी मुख्या समस्या है

मुर्शिदाबाद में बीड़ी कल्याण हॉस्पिटल है परन्तु वह बहुत दूर है जिसके कारण श्रमिक बीमारी के समय वहां नहीं पहुँच पाते है. सेवा ने मोबाइल हॉस्पिटल चलने के लिए कठीन संघर्ष किया ताकि श्रमिकों के घर तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँच सके, परन्तु मोबाइल हॉस्पिटल वैन एक माह से बंद पड़ी है क्योंकि स्वास्थ्य अधिकारी नहीं है.

मुर्शिदाबाद और मालदा में बीड़ी श्रमिकों को नए परिचय पत्र जारी नहीं किये जा रहे क्योंकि स्वास्थ्य अधिकारी मार्च २०१६ में ट्रांसफर के बाद अभी तक नियुक्त नहीं हुआ. उप बीड़ी कल्याण अफसर जो की दिसंबर २०१६ में रिटायर हुए थे उनकी जगह किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया जिसके कारण नए परिचय पत्र जारी नहीं किये जा रहे है और कल्याणकारी सुविधाओं का वितरण पर असर हो रहा है.

बिहार में मेडिकल सुविधाओं के नहीं मिलने पर बीड़ी श्रमिकों का संघर्ष

सेवा बिहार की महामंत्री माधुरी सिन्हा ने बताया, "भागलपुर जिले में दवाखाना बहुत दूरी पर स्थित है जिससे श्रमिक स्वास्थ्य की सुविधा लेने हेतु १५ किलोमीटर यात्रा करने पर मजबूर है. पहले डॉक्टर यहाँ पर मुश्किल से मिलते थे क्योंकि उन पर दुसरे दवाखानों की ज़िम्मेदारियाँ भी थी, परन्तु सेवा के लगातार प्रयासों के कारण अब

स्वास्थ्य अधिकारी प्रत्येक सोमवार और गुरूवार को उपलब्ध रहते है. पुरनिआ और कटियार के बीड़ी श्रमिकों को ज़्यादा समस्या है क्योंकि उन्हें निशुल्क सुविधा लेने हेतु ९० किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है." यह बीड़ी श्रमिकों के कानून का उल्लंघन है क्योंकि बीड़ी कल्याण औषधालय वहां खुलने चाहिए जहाँ पर ५ हज़ार से ज़्यादा बीड़ी श्रमिक है.

मध्य प्रदेश के बीड़ी श्रमिकों को बीमा की सुविधा व आवास की योजना से दूर रखा जा रहा है

मध्य प्रदेश के बीड़ी श्रमिकों को पिछले कई सालों से बीमा की सुविधा नहीं मिल रही है. उनको आवास की सब्सिडी का फायदा भी नहीं मिल रहा है.

गुजरात और राजस्थान के बीड़ी श्रमिकों को पहचान पत्र नहीं दिए जा रहे

गुजरात के अहमदाबाद और राजस्थान के अजमेर शहर में पिछले कई सालों से बीड़ी श्रमिकों को पहचान पत्र नहीं दिए जा रहे जिसके कारण वो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे है. बीड़ी श्रमिक बीमा की सुविधा और आवास की योजना का भी पिछले ६ साल से लाभ नहीं ले पा रहे है.

उत्तर प्रदेश में बीड़ी श्रमिकों के लिए दवाखाने की सुविधा नहीं है

राय बरेली जिले में बहुत सरे बीड़ी श्रमिक है जो की कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे है. बीड़ी औषधालय बहुत दूर है जिसके कारण श्रमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे है.

बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए सेवा की सिफारिशें

- बीड़ी श्रमिकों के क्षेत्रों को ढूंढ़कर दवाखानों के स्थान को बदला जाये या शुरू किया जाये.
- मालदा, मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल), राय बरैली (उत्तर प्रदेश) में मोबाइल हॉस्पिटल वैन शुरू की जाये.
- कठियार और पुरनिआ (बिहार) में बीड़ी कल्याण औषधालय शुरू किये जाये और उनके सही प्रकार से चलने का निश्चय किया जाये. भागलपुर (बिहार) में स्वास्थ्य औषधालय को बीड़ी श्रमिकों के क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाये.
- बीड़ी कल्याण अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी की जिन राज्यों में ज़रुरत है वहां नियुक्ति की जाये.
- सभी राज्यों में बीड़ी श्रमिकों को परिचय पत्र देना अनिवार्य किया जाये.
- बीड़ी श्रमिकों को बीमा राशि का भुगतान किया जाये.
- मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में बीड़ी आवासीय योजना को फिर से शुरू किया जाये.
- छात्रवत्ति के फॉर्म को स्वयं से भरने हेतु पहले की तरह इज़ाज़त दी जाये और छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि तुरंत वितरित की जाये.
- श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक बीड़ी कल्याण अधिकारी और सेवा के प्रतिनिधियों के साथ की जाये ताकि बीड़ी कल्याण से जुड़े मुद्दों को सुलझाया जा सके.

ONLINE REGISTRATION FOR SCHOLARSHIP PUSHES CHILDREN OFFLINE FROM EDUCATION!

Beedi Workers' Kids Majorly Affected; Sewa Asks Govt To Give Option To Fill Forms By Hand

It is our experience at SEWA that Beedi trade is the only trade in informal economy which has high percentage of education among the children due to Beedi Scholarship Scheme. Children of beedi workers get scholarship ranging from Rs 250-2,440 for schooling from class 1 to 12; Rs 3,000 for college education; Rs 8,000 for diploma courses and Rs 15,000 for higher education. This scholarship was a boon for children of beedi workers but since 2013-14, the number of students applying for and getting the scholarship has been rapidly declining, reveal ground reports from SEWA.

The main reason here is that it is now mandatory to fill scholarship forms online. While SEWA welcomes digitalization as part of Digital India, it has been found that majority beedi workers face difficulties in filling online forms. The poor, largely uneducated workers are forced to forced to go to cyber cafes to fill forms as they do not have access to computers at home. Earning Rs 80-100 per day after rolling 700-1,000 beedis, women involved in rolling beedis are forced to shell out Rs 150 to 200, amounting two days of their hard-earned income, just to fill the forms. There are reports

that slow internet facilities and slow government web portal also add to the problem where volunteers confess to be able to fill only two forms in entire day due to extremely slow internet services in the interiors! Due to these reasons, there is a big drop in number of beedi worker kids applying for scholarship and getting the same. Thousands of Beedi workers have addressed post cards to labour and employment department highlighting this problem.

"Beedi workers should be allowed to fill forms for children's scholarship offline by hand as was the practice earlier as well so as to ensure that the children do not drop out from the education system. Beedi workers live in remote interiors of the country and it will take time for these families to be able to fill forms and upload documents online.

While insisting for digitization, it should not happen that we force these children to drop out from schools in absence of scholarships," says national secretary of SEWA Manali Shah. She said that this is important because of less children seek scholarships due to issues in filling forms online, it may also have long term impact like reduction in amount granted for scholarships for children of beedi workers.

छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन पंजीयन ने बच्चों को शिक्षा से ऑफलाइन किया

बीड़ी श्रमिकों के बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर हुआ, सेवा ने सरकार को कहा हाथ से आवेदन फॉर्म को भरने का विकल्प भी दिया जाये

सेवा में हमारा अनुभव है की बीड़ी व्यवसाय असंगठित क्षेत्र में अकेला व्यवसाय है जिसमे बच्चों की शिक्षा का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह है बीड़ी छात्रवृत्ति योजना. बीड़ी श्रमिकों के बच्चों को विभिन्न प्रकार की छत्तरवृत्तियाँ मिलती है जो की १-१२ कक्षा के लिए २५०-२४४४ रुपये, कॉलेज की शिक्षा के लिए ३००० रुपये, डिप्लोमा कोर्स के लिए ८००० रुपये और उच्च शिक्षा के लिए १५००० रुपये. बीड़ी श्रमिकों के बच्चों के लिए ये छात्रवृत्ति वरदान थी, परन्तु २०१३-१४ में छात्रों के द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन और उसके मिलने में तेज़ी से गिरावट आयी. यह सेवा के ज़मीनी स्तर के अनुभव से निकला है. इसके पीछे मुख्य कारण यह है की छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाइन भरना अनिवार्य है. डिजिटल भारत के तहत सेवा डिजिटिकरण का स्वागत करती है, परन्तु यह पाया गया कि बीड़ी श्रमिक ऑनलाइन आवेदन भरने में बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे है. गरीब और अशिक्षित श्रमिक साइबर कैफ़े में फॉर्म भरने को मजबूर हो गए है क्योंकि उनके घरों में कंप्यूटर नहीं है. दिन भर ७००-१००० बीड़ी बनाने के बाद वे ८०-१०० रुपये कमाते है. महिलाओं को कठीन मेहनत से कमाए १५०-२०० रुपये तक का नुकसान आवेदन भरने में करना पड़ रहा है. सरकार के धीरे चलते वेब पोर्टल और कम इंटरनेट सुविधाओं के कारण यह समस्या और बड़ गयी है. कई लोगों ने बताया कि अंदर के क्षेत्रों में कम इंटरनेट सुविधाओं के कारण दिन भर में २ ही आवेदन भरे जाते है. इस कारण बीड़ी कामगारों के बच्चों में छात्रवृत्ति के आवेदन और उसे प्राप्त करने की संख्या घट गयी है.

हज़ारों की संख्या में श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय को बीड़ी श्रमिकों के द्वारा इस समस्या को लेकर पोस्ट कार्ड भेजे गए

सेवा की सेक्रेटरी मनाली शाह ने कहा, "बीड़ी कामगारों के बच्चों को छात्रवृत्ति के आवेदनों को हाथ से भरने की इज़ाज़त दी जाये जैसे पहले भरे जाते थे ताकि उनके बच्चों को शिक्षा से दूर ना रहना पड़े. हमारे देश में बीड़ी श्रमिक काफी अंदर के क्षेत्रों में रहते है, और उनको ऑनलाइन फॉर्म जमा करने में काफी समय लग जाता है. हम डिजिटिकरण के पक्ष में है परन्तु यह नहीं होना चाहिए कि छात्रवृत्ति ना मिलने के कारण बच्चों को स्कूल से दूर रहना पड़े."

उन्होंने कहा की यह बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि ऑनलाइन आवेदन के कारण बहुत ही कम बच्चें छात्रवृत्ति ले पा रहे है. आगे जाकर इस वजह से बीड़ी श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति का जो पैसा रखा है उसमे कमी आ जाएगी.